

## समावेशी विकास के लिए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम की अनिवार्यता

**जीएस-2:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

**की वर्ड्स:** सिविल सेवा क्षमता, प्रेरण प्रशिक्षण, सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवा, नीति ढांचा, संस्थागत ढांचा, योग्यता, आईजीओटी-कर्मयोगी, ई-एचआरएमएस।

**चर्चा में क्यों:**

हमारे विकास लक्ष्यों और विकास की महत्वाकांक्षा को देखते हुए, नौकरशाही स्तर पर क्षमता निर्माण में बड़े पैमाने पर वृद्धि की आवश्यकता है।

**संदर्भ:**

- हाल ही में, भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए विश्व बैंक से \$47 मिलियन का प्रोत्साहन मिला है।

**सिविल सेवाओं के क्षमता निर्माण की पृष्ठभूमि:**

- 1985 से पहले, उच्च सिविल सेवाओं के क्षमता निर्माण में मुख्य रूप से दो साल का इंडक्शन प्रशिक्षण शामिल था। निचली सिविल सेवाओं के लिए, कोई प्रशिक्षण नहीं था।
- 1985 में, तत्कालीन सरकार ने माना कि वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दो साल का इंडक्शन ट्रेनिंग अपर्याप्त था।
- आईएस अधिकारियों को सालाना एक सप्ताह के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अनिवार्य किया गया था और समय-समय पर चार सप्ताह के प्रशिक्षण में समझने और सीखने की अनुमति देने के लिए अनिवार्य किया गया था।
- 2000 के दशक की शुरुआत में, सरकार ने आईआईएम-बैंगलोर में सार्वजनिक नीति में एक वर्षीय पेशेवर कार्यक्रम शुरू किया, जिसके बाद आईआईएम अहमदाबाद, एमडीआई गुड़गांव और टेरी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हुए।

### मिशन कर्मयोगी

- 2020 में शुरू किया गया, मिशन कर्मयोगी -सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) - भारतीय नौकरशाही में सुधार और भविष्य के लिए सिविल सेवकों को तैयार करने के लिए है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य "कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र का व्यापक सुधार" करना है।
- मिशन का उद्देश्य सिविल सेवा अधिकारियों को भविष्य के लिए "रचनात्मक, कल्पनाशील, अभिनव, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम" बनाना है।

### मिशन कर्मयोगी की मुख्य विशेषताएं:

- नियम आधारित से भूमिका आधारित मानव संसाधन (एचआर) प्रबंधन में परिवर्तन। सिविल सेवकों को उनकी दक्षताओं के आधार पर नौकरी आवंटित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ऑफ-साइट लर्निंग को पूरा करने के लिए ऑन-साइट लर्निंग: यह सिविल सेवकों को साइट पर दिया जाने वाला प्रशिक्षण है।
- सिविल सेवकों को साझा शिक्षण सामग्री, संस्थानों और कर्मियों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल साझा प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे प्रदान करना।
- भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षताओं की रूपरेखा (एफआरएसी): इस दृष्टिकोण के तहत सभी सिविल सेवा पदों को कैलिब्रेट का दृष्टिकोण है। साथ ही इस दृष्टिकोण के आधार पर, सभी शिक्षण सामग्री बनाई जाएगी और हर एक सरकारी संस्था को वितरित की जाएगी।
- सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और उनके संगठनों द्वारा साझा पारिस्थितिकी तंत्र का सह-निर्माण - यह प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक वित्तीय सदस्यता के माध्यम से सीखने का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का एक तरीका है।
- सामग्री बनाने वालों के साथ साझेदारी: सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-टिप्स और व्यक्तिगत विशेषज्ञों को इस क्षमता निर्माण का हिस्सा बनने में सक्षम बनाया जाएगा।

### मिशन कर्मयोगी की आवश्यकता क्यों है?

- आज, हमारी विकास महत्वाकांक्षा को देखते हुए, राजनीतिक और नौकरशाही दोनों स्तरों पर क्षमता निर्माण में बड़े पैमाने पर वृद्धि की आवश्यकता है।
- लोकतंत्र के परिपक्व होने पर, निर्वाचित प्रतिनिधि और नौकरशाही नीति निर्माण और कार्यान्वयन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसलिए, यह अनिवार्य है कि प्रतिनिधि और नौकरशाह नीति निर्माण और कार्यान्वयन की बारीकियों को समझने में सक्षम हों।
- इस तरह के कार्यक्रम को भविष्य की कल्पना करने की क्षमता का निर्माण करना चाहिए और इसे साकार करने की दिशा में काम करना चाहिए। इसे राष्ट्रीय लक्ष्य को समन्वयित करने और चलाने के लिए पूरी श्रृंखला को लैस करना होगा। एक दूरदर्शी मानसिकता जो जल्दी से अवसरों को समझ सकती है और खतरों को दूर कर सकती है, महत्वपूर्ण है।
- अक्सर यह कहा जाता है कि भारतीय नौकरशाह एक प्रमुख कारण हैं जिसके कारण भारत उस गति से प्रगति नहीं कर रहा है जैसा वह कर सकता था। यह भी कहा जाता है कि सिविल सेवकों की भर्ती और भर्ती के बाद का पारिस्थितिकी तंत्र पुराना है और इसे बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। इन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार यह कार्यक्रम लेकर आई है।

### मिशन कर्मयोगी के स्तंभ:

- मिशन कर्मयोगी के निम्नलिखित छह स्तंभ होंगे:-
  - o नीतिगत ढांचा,

- o संस्थागत ढांचा,
- o सक्षमता ढांचा,
- o डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी प्लेटफॉर्म iGOT-कर्मयोगी),
- o इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस), और
- o निगरानी और मूल्यांकन ढांचा।

### क्या आप जानते हैं?

मिशन कर्मयोगी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- इसमें 2020-2025 के बीच लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी शामिल होंगे।
- इस मिशन को चलाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन (गैर-लाभकारी कंपनी) की स्थापना की गई है।
- यह एसपीवी आई-जीओटी कर्मयोगी का प्रबंधन करेगा जो ऑनलाइन प्रशिक्षण डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- o यह क्षमता निर्माण के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा मंच पर एक पोर्टल है।
- o क्षमता निर्माण के अलावा, परिवीक्षा अवधि के बाद पुष्टि, तैनाती, कार्य असाइनमेंट और रिक्तियों की अधिसूचना आदि जैसे सेवा मामलों को अंततः प्रस्तावित सक्षमता ढांचे के साथ एकीकृत किया जाएगा।

### मिशन कर्मयोगी क्षमता निर्माण में कैसे मदद करेगा?

- कार्यक्रम अधिकारियों के बीच मानव संसाधन प्रबंधन में सुधार करने का प्रयास करेगा।
- यह भूमिका आधारित प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा।
- इसका उद्देश्य अधिकारियों की दक्षताओं के आधार पर भूमिकाओं और नौकरियों को आवंटित करना है।
- मिशन ने आईजीओटी-कर्मयोगी यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया है।

यह मंच "भारतीय लोकाचार" में निहित वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के लिए सामग्री प्रदान करेगा।

o iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म अधिकारियों को उनकी दक्षताओं का पता लगाने, हासिल करने और प्रमाणित करने में सक्षम बनाता है जो उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

o यह प्लेटफॉर्म उन्हें सभी सिलोस से जुड़ने और सहयोग करने और उनकी जिम्मेदारियों के निष्पादन में अधिक कुशल बनने में भी मदद करता है। विशिष्ट केंद्रों में व्यवस्थित सुविधाओं की एक श्रृंखला के साथ इन्हें संभव बनाया गया है।

- सिविल सेवकों को भी इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे कोर्स करने होंगे जिन पर अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा।

- एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) मंच की निगरानी करेगा। एसपीवी कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी संगठन होगा।

### केस स्टडी

2004 में सतारा नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुंदर पंचगनी में, लगभग 600 स्वच्छता कार्यकर्ताओं ने कार्यशाला में भाग लिया, जिसमें मानार्थ स्वास्थ्य जांच, इंटरैक्टिव समस्या समाधान अभ्यास और अन्य अनुकूलित शिक्षा कार्यक्रम शामिल थे। प्रतिभागियों ने अपनी नई अर्जित सीख को उपयोग में लाने के वादे के साथ सत्र को छोड़ दिया। एक महीने बाद, जब एक टीम ने सतारा का दौरा किया, तो उन्होंने पाया कि श्रमिकों ने अपने वार्ड के प्रत्येक घर को शिक्षित करके कचरा पृथक्करण प्रणाली को सक्रिय रूप से स्थापित किया था। यह पूछे जाने पर कि क्या वे चिंतित हैं कि कचरा संग्रह में गिरावट उन्हें बेरोजगार कर देगी, एक महिला कर्मचारी ने जवाब दिया: "हमारा काम शहर को साफ करना नहीं है, बल्कि शहर को साफ रखना है"। दृष्टिकोण में यह परिवर्तन प्रशिक्षण की शक्ति है।

### आगे की राह:

- अच्छी खबर यह है कि क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए भारत के पास पहले से ही वह सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है। मौजूदा संस्थान और शैक्षिक केंद्र, साथ ही उपलब्ध विशेषज्ञता और ज्ञान का आधार, विभिन्न ग्रेड के सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण का उचित समर्थन कर सकते हैं। हालाँकि, इतने बड़े क्षमता-निर्माण अभ्यास केंद्र में लॉजिस्टिक्स का मौजूदा संस्थानों को उनकी पूरी क्षमता के लिए उपयोग किया जाता है, तो अधिक निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री में निवेश और मानक कक्षा व्याख्यान के बजाय समूह के लिए उपयुक्त शिक्षाशास्त्र का उपयोग करना ही धन का बेहतर उपयोग होगा।

स्रोत: <https://indianexpress.com/article/opinion/columns/capacity-build-for-politicians-bureaucrats-is-a-must-for-growth>

### प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

Q. निम्न में से कौन-सा/से मिशन कर्मयोगी का स्तम्भ है/हैं?

1. नीति ढांचा,
2. संस्थागत ढांचा,
3. योग्यता ढांचा,
4. निगरानी और मूल्यांकन ढांचा।

सही विकल्प चुनें:

- a) केवल 1,2 और 3
- b) केवल 1,2 और 4
- c) केवल 1,3 और 4
- d) ये सभी

उत्तर: d

**मुख्य परीक्षा प्रश्न:**

Q. "भारत में समावेशी विकास के लिए सभी स्तरों पर कर्मयोगियों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है"।  
कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें।

 **ध्येय IAS®**  
most trusted since 2003